भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3061
6 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

तमिलनाडु में घरेलू खाद्य बाजार

+3061. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक 1,274 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना वाले भारत के घरेलू खाद्य बाजार में अनुमानित 47 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ उठाने में तमिलनाडु राज्य की सहायता के लिए कार्यान्वित की जा रही विशिष्ट पहलें क्या हैं;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा प्रौद्योगिकीय प्रगति और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अभिनव स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निर्यात और अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु निर्दिष्ट कोई विशिष्ट वित्तीय सहायता योजनाएं या प्रोत्साहन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई); केंद्रीय क्षेत्र की योजना - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को बढ़ावा दे रहा है। ये योजनाएं मांग आधारित हैं और तमिलनाडु राज्य समेत पूरे देश में लागू की गई हैं।

(ख): उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार ने देश में नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप्स को सहायता देने और स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की है। 30 जून 2026 तक की स्थिति के अनुसार, देश भर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में डीपीआईआईटी द्वारा कुल 9,949 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें से, तमिलनाडु राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 709 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत, सरकार उद्योगों और क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रयास करती रहती है। प्रमुख योजनाएं, अर्थात् फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस), स्टार्टअप्स को उनके व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता करती हैं।

एफएफएस के अंतर्गत, तमिलनाडु के कुल 65 स्टार्टअप्स को 1,420.85 करोड़ रुपये (30 जून, 2026 तक) के कुल संचयी निवेश के साथ सहायता दी गई है, जिसमें से खाद्य एवं पेय क्षेत्र के 4 स्टार्टअप्स को 224.38 करोड़ रुपये की कुल राशि के साथ सहायता दी गई है। एसआईएसएफएस इनक्यूबेटर्स के माध्यम से सीड स्टेज स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देता है। एसआईएसएफएस 1 अप्रैल 2021 से कार्यान्वित है। एसआईएसएफएस के अंतर्गत, सहायता प्राप्त इनक्यूबेटरों ने तमिलनाडु के 450 स्टार्टअप्स को 69.16 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसमें से, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, 21 स्टार्टअप्स को सहायता दी गई है और 30 जून 2026 तक एसआईएसएफएस के अंतर्गत इन स्टार्टअप्स को कुल 21.2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सीजीएसएस को पात्र वित्तीय संस्थानों [सदस्य संस्थानों (एमआईएस)] के माध्यम से स्टार्टअप्स को ऋण वित्तपोषण के द्वारा ऋण पहुंच सक्षम करने के लिए लागू किया गया है। सीजीएसएस का संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है और यह 1 अप्रैल 2023 से चालू है। सीजीएसएस के अंतर्गत 30 जून, 2026 तक तमिलनाडु में 187.60 करोड़ रुपये के 48 ऋणों को गारंटी दी गई है। इनमें से, तमिलनाडु राज्य में 30 जून, 2026 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 1.5 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी दी गई है।

इसके अलावा, एमओएफपीआई अपनी योजनाओं के द्वारा तमिलनाडु सहित पूरे देश में नए स्टार्टअप्स को सहायता देता है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, देश भर में कुल 80 इनक्यूबेशन सेंटर मंजूर और स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 04 इनक्यूबेशन सेंटर तमिलनाडु में चालू हैं, जो, स्टार्टअप्स सहित, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सुविधा देते हैं, जिस का विवरण नीचे दिया गया है-

ज़िला	**मेज़बान संस्थान**	**स्वीकृत अनुदान-सहायता (लाख रुपये में)**
कोयंबटूर	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	256.00
मदुरै	कृषि विज्ञान केंद्र- मदुरै	253.34
तंजावुर	सस्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी, तिरुमलाईसमुद्रम, तंजावुर (गैर सरकारी)	119.12
तिरुचिरापल्ली	आईसीएआर- राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र	250.00

एमओएफपीआई ने अपने दो स्वायत्त संस्थानों, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एंव प्रबंधन संस्थान, कुंडली, हरियाणा (निफ़्टम-के) तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एंव प्रबंधन संस्थान, तंजावूर, तमिलनाडु (निफ़्टम-टी) के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में 2 स्टार्टअप्स को भी सहायता प्रदान की है। ये संस्थान इन स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, परामर्श, प्रशिक्षण, पायलट प्लांट, एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, इनक्यूबेशन सेवाओं, गुणवत्ता परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास सहायता, नेटवर्किंग के अवसरों आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं।

(ग): एमओएफपीआई, तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में, अवसंरचना के निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपनी योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन प्रदान करता है। एमओएफपीआई, की योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 06 अगस्त, 2026 को "तमिलनाडु में घरेलू खाद्य बाज़ार", के संबंध में उत्तर हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 3061 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

<u>प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन</u>

क्र.सं.	घटक योजना	सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ(अनुदान सहायता)	दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ, एसएचजी की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ(अनुदान सहायता)
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना यो जना	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
2.	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन / विस्तार	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]
3.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से सहायता अनुदान, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये होगी; और स्टैंडअलोन फसल कटाई के बाद की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, अधिकतम सहायता अनुदान प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये होगा।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का अधिकतम 50% की दर से अनुदान सहायता, प्रति परियोजना अधिकतम अनुदान सहायता रु. 15 करोड़ होगा; और स्टैंडअलोन फसल कटाई के बाद के अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, प्रति परियोजना अधिकतम सहायता अनुदान रु. 10 करोड़ होगा।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए : पात्र लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 70% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]

6.	मानव संसाधन एवं संस्थान- अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों हेतु – उपकरण लागत एवं उपभोग्य सामग्रियों के 100% की दर से अनुदान सहायता, निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए, उपकरण की लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता।	सरकारी संगठनों के लिए – उपकरण लागत और उपभोग्य सामग्रियों को 100% की दर से अनुदान सहायता निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए, उपकरण की लागत के 70% की दर से अनुदान सहायता।

<u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) के अंतर्गत प्रोत्साहन संरचना</u>

श्रेणी/खंड	खंड	प्रोत्साहन संवितरण मानदंड (%)		ऊपरी सीमा (% और रकम करोड़ में)	प्रोत्साहन की दर (%)					
		न्यूनतम सीएजीआर	अधिकतम सीएजीआर		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
श्रेणी 1										
आरटीई/आरटीसी	बिस्किट	10%	13%	8% रु.334.48	5%	5%	5%	5%	4.5%	4%
	नॉन-बिस्किट				7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	6.75%	6%
एफ एंड वी	स्पाइसेस	10%	12%	8% 286.56 रुपये	5%	5%	5%	5%	4.5%	4%
	नॉन-स्पाइसेस		15%		10%	10%	10%	10%	9%	8%
समुद्री	समुद्री उत्पाद	5%	10%	8% 79.44 रुपये	6%	6%	6%	6%	5%	4%
	मूल्य वर्धित उत्पाद				10%	10%	10%	10%	10%	10%
मोत्ज़रेला पनीर		15%	16%	25% 70.75 रुपए	10%	10%	10%	8%	6%	4%
मिलेट उत्पाद	बड़ी इकाई	10%	-	100 रुपए	-	10%	10%	10%	9%	8%
	एमएसएमई	10%	-	10.54						

				रुपए						
श्रेणी 2	जैविक उत्पाद	10%	-		10%	10%	10%	10%	9%	8%
	इनोवेटिव उत्पाद	10%	-		10%	10%	10%	10%	9%	8%
श्रेणी 3	ब्रांडिंग और मार्केटिंग (बी एंड एम)	पूरी तरह से भारत में बने खाद्य उत्पाद बेचने में शामिल सिर्फ़ भारतीय ब्रांड ।		कुल व्यय का 50%	-	विदेश में बी एंड एम पर हुए खर्च के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है।				

सीएजीआर- चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

<u>पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए उपलब्ध सहायता का विवरण</u>

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों के लिए सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *एसएचजी को प्रारंभिक पूंजी सहायता:* खाद्य प्रसंस्करण में लगे एसएचजी के प्रति सदस्य को 40,000 रुपये की प्रारंभिक पूंजी, कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरण खरीदने के लिए, जो प्रति एसएचजी फेडरेशन अधिकतम 4 लाख रुपये तक होगी।

(iii). *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता :* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक होगी। यह सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और जनता के लिए भी अपनी क्षमता के बड़े हिस्से के लिए किराए के आधार पर उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी।

(iv) *ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों के समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 50% तक अनुदान।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: यह कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित किया गया है।
